Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation/ absorption shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.		

[F.No. 1/31/2010-IR (Vol. II)]

RAJBIR SINGH, Under Secy

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 385.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता (समूह 'ग') भर्ती नियम, 1990 और जहां तक उनका संबंध रोकड़िया के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता में रोकड़िया पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:.**— (1) इन नियमों का संक्षित नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता, रोकड़िया (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2018 है।

(2) यह सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतनमान या वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर.**— पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.** — वह व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या पत्नी जीवित है; या

(ख) जिसने एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा:-

परंतु यदि केंद्रीय सरकार इससे सहमत है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.** — जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.** — इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

	(4) An officer not below the rank of Section Officer belonging to the Scheduled Castes or the Schedule Tribes -Member (5) Section Officer, Institute of Secretariat Training and Management -Member	

[F. No. A-12034/13/2016-ISTM]

SYED IMRAN AHMED, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि. 384.—केंद्रीय सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22), की धारा 27 की उप-धारा (2) के खंड (घ) के साथ पठित उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केंद्रीय सूचना आयोग, स्टाफ कार ड्राइवर भर्ती नियम, 2011 को अधिक्रान्त करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सचूना आयोग, कर्मचारी वृन्द कार चालक (विशेष श्रेणी), (श्रेणी-I), (श्रेणी-II), (साधारण श्रेणी) समूह 'ख' और 'ग' पद भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि –** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता -** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. कर्मचारीवृन्द कार चालक (विशेष श्रेणी)	01* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रु.) में स्तर 6	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति :- वेतन मैट्रिक्स (29200-92300 रु.) में स्तर 5 ऐसे कर्मचारी वृन्द कार चालक क्षेणी-I जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है।	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. अपर सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग **– अध्यक्ष** 2. संयुक्त सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग **- सदस्य** 3. उप सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग **– सदस्य** **2. समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. अपर सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग **– अध्यक्ष** 2. संयुक्त सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग **- सदस्य** 3. उप सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग **– सदस्य**	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. कर्मचारीवृन्द कार चालक श्रेणी-1	04* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (29200-92300 रु.) में स्तर 5	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति :- वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) में स्तर 4 ऐसे कर्मचारीवृन्द कार चालक क्षेणी-2 जिन्होंने उस श्रेणी में छः वर्ष की नियमित सेवा के साथ या कर्मचारीवृन्द कार चालक ग्रेड-II और कर्मचारीवृन्द कार चालक (साधारण श्रेणी)	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. संयुक्त सचिव (प्रशा.),	लागू नहीं होता।

में पन्द्रह वर्ष की सम्मिलित सेवा के साथ; सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसायिक परीक्षण पास किया हो।	केंद्रीय सूचना आयोग – अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग - सदस्य 3. उप सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग – सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. कर्मचारीवृन्द कार चालक समूह-II	04* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) में स्तर 4	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति :- वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रु.) में स्तर 2 ऐसे कर्मचारीवृन्द कार चालक (साधारण श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा की है और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसायिक परीक्षण पास किया है।	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. संयुक्त सचिव (प्रशा.), केंद्रीय सूचना आयोग – अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग - सदस्य 3. उप सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. कर्मचारीवृन्द कार चालक (साधारण श्रेणी)	04* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रु.) में स्तर 2	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पणी** :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो

					असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) **टिप्पण** :- यदि 'सीधी भर्ती' 'सीधी खुली प्रतियोगिता परीक्षा' द्वारा की जाएगी तो आयु सीमा 18 - 27 वर्ष के बीच हो सकती है।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक :- (i) मोटर कार के चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो; (ii) मोटर यान की यंत्र क्रिया का ज्ञान (अभ्यर्थी यान में छोटी-मोटी खराबियों को दूर करने में समर्थ होना चाहिए); (iii) मोटर कार के चालन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; और (iv) दसवीं स्तर पास **वांछनीय :-** होमगार्ड या सिविल रक्षा सेवक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव **टिप्पण 1** – अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2** - अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती या पुन:नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा सशस्त्र सेना कार्मिक के लिए: प्रतिनियुक्त या पुन:नियोजन

उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन :- केंद्रीय सूचना आयोग में वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रु.) में स्तर-1 में के ऐसे नियमित सवार-हरकारा (समूह 'ग') और समूह 'ग' कर्मचारियों में से जिनके पास मोटर कार चालन की सक्षमता के निर्धारण के लिए मोटर चालन परीक्षा के आधार पर मोटर कार चलाने की विधिमान्य अनुज्ञप्ति है जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में के पदधारियों में से जो नियमित आधार पर सवार हरकारा का पद धारण किए हुए है या वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रु.) में स्तर-1 में के ऐसे नियमित समूह 'ग' कर्मचारी जो स्तभ (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हो। सशस्त्र सेना कार्मिक के लिए प्रतिनियुक्त/आमेलन ऐसे सशस्त्र कार्मिक जो एक वर्ष की अवधि के अंदर सेवा निवृत्त हो रहे है या रिजर्व में अंतरित हो रहे है और विहित अपेक्षित अनुभव और अर्हता रखते है, उनपर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उनके सशस्त्र बल से निर्मुक्त होने की तारीख तक प्रतिनियुक्त पर रखा जाएगा; तत्पश्चात् वे पुन: नियोजन पर पद पर बने रहेगें। **टिप्पण :-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. संयुक्त सचिव (प्रशा.), केंद्रीय सूचना आयोग – अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग - सदस्य 3. उप सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग – सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा.सं. 1/31/2010-आईआर (खंड-II)]

राजवीर सिंह, अवर सचिव